

GST No. : 08AAAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्र. मांक/फा./लेखा/2023-24/ 971-74

दिनांक : 11.5.2023

M/s Sanjive Radhey & Co.
SK-2 Sky Star, Heerapura,
Ajmer Road, Jaipur

M/s OM Agarwal & Co.
B-1, Subh Labh Appartment,
D-37 /Subhash Marg, C-Scheme, Jaipur

M/s Ashish Sharma & Co.
2KA 1 Jawahar Nagar,
Jaipur

M/s Manish Chhabra & Co.
564, Sunny Mart, New Aatish Market,
Mansarover, Jaipur

विषय:- आन्तरिक अंकेक्षण वर्ष 2023-24 के लिए दर प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजफैड एवं निम्न समस्त यूनिटों के वर्ष 2023-24 के लेखों के आन्तरिक अंकेक्षक कार्य का आवंटन किया जाना है:-

आन्तरिक अंकेक्षण (त्रैमासिक अवधि की दर) :-

(1) राजफैड मुख्यालय, जयपुर (2) वाणिज्य शाखा (3) कृषिआदान शाखा (4) गैस शाखा (5) सहकारी पशुआहार फैक्ट्री (5) क्षेत्रीयकार्यालय, अजमेर/कोटा/भरतपुर/जोधपुर/बीकानेर/श्रीगंगानगर/जयपुर/उदयपुर।

आन्तरिक अंकेक्षण हेतु नियुक्त फर्म द्वारा उपरोक्त ईकाईयों के लेखों के आन्तरिक अंकेक्षण में निम्न बिन्दुओं की नियमित रूप से संवीक्षा/जाँच की जावेगी।

- वर्ष 2023-24 के लेखे, कैश बुक/बैंक बुक/जर्नल बुक तथा इनकी टैली सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियों की वाउचर के आधार पर शत-प्रतिशत जांच।
- बैंक खातों की जांच एवं त्रैमासिक बैंक समाधान विवरण मिलान कार्य।
- आय एवं व्यय की शत-प्रतिशत जांच।
- स्टॉक रजिस्टर जांच एवं मिलान कार्य।



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

5. स्थाई सम्पत्तियों का सत्यापन कार्य।
 6. समस्त प्रावधानों, करों की गणना एवं निर्धारण।
 7. टी.डी.एस./जी.एस.टी. भुगतान/रिटर्न आदि की जाँच लम्बित प्रकरणों पर कार्यवाही।
 8. वर्ष 2023-24 के आरम्भ में प्रारम्भिक शेषों की जाँच एवं पूर्व के अनावश्यक खातों के शेषों का नियमानुसार समायोजन कार्य।
 9. अन्य वैधानिक जांच एवं सुझाव, जो संस्था के लिए आवश्यक है।
- आन्तरिक अंकेक्षण कार्य हेतु इच्छुक फर्मों के लिए अर्हतायें/शर्तें निम्नानुसार है :-
1. फर्म की कम से कम दो संस्थाओं के आन्तरिक अंकेक्षण कार्य का अनुभव होना आवश्यक है।
 2. फर्म द्वारा आन्तरिक अंकेक्षण कार्य तिमाही आधार पर किया जायेगा। प्रत्येक तिमाही आन्तरिक अंकेक्षण की जांच कर आगामी तिमाही से पूर्व रिपोर्ट मुख्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
 3. यदि आप उपयुक्त अर्हताएं पूर्ण करते है एवं उक्त शर्तों पर सहमत है तो अपना दर प्रस्ताव मय समस्त विवरण सहित 3 दिवस में राजफैड कार्यालय में प्रस्तुत करें।

वित्तीय सलाहकार एवं
महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा)